राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	1861/2023	बनवारी लाल	1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर। 2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर संभाग, भरतपुर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक भतरपुर। 4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, डीग, जिला भरतपुर। 5. अमिता गोयल, प्रधानाचार्य एवं पदेन, पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कुचावटी, डीग, जिला भरतपुर।
2.	1862/2023	राजेश कुमार जैन	
3.	1863/2023	गजेन्द्र प्रसाद शर्मा	

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.07.2023
आदेश की दिनांक : 10.10.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री धर्मचन्द जैन, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अभिभाषक
प्रत्यर्थी संख्या–5 की ओर से : सुश्री अमिता गोयल, प्रधानाचार्य

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 1861/2023 बनवारी लाल बनाम निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी एम.ए., बी.एड. योग्यताधारी होने के कारण आरपीएससी द्वारा दिनांक 21.09.2012 को वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड–II (हिंदी) के पद पर चयनित एवं नियुक्त हुआ तथा वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुचावटी, डीग, जिला भरतपुर में वरिष्ठ अध्यापक (हिंदी) के पद पर कार्य कर रहा है तथा उसके विरुद्ध किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है।

कोविड–19 की अवधि के दौरान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुचावटी, डीग, भरतपुर में एक क्वारंटीन वेलनेस केयर सेंटर स्थापित किया गया और अपीलार्थी को बिना आदेश के दिनांक 08.04.2020 और 09.04.2020 की अवधि से उसी स्कूल के क्वारंटीन वेलनेस केयर सेंटर के नियंत्रण कक्ष और सूचना प्रकोष्ठ में कोविड–19 महामारी के दौरान ड्यूटी सौंपी गई और अपीलार्थी को बिना किसी आदेश की तारीख दिखाए और ड्यूटी के विषय का खुलासा किए बिना दिनांक 04.04.2020 और 06.04.2020 को मौखिक रूप से ड्यूटी करने का निर्देश दिया गया था इसलिए अपीलार्थी दिनांक 04.04.2020 और 06.04.2020 को ड्यूटी नहीं कर सका और उसके बाद अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 5 के नोटिस का जवाब भी दिया, जिसे प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा स्वीकार करने से इनकार कर दिया गया और प्रत्यर्थी संख्या–3 ने दिनांक 04.04.2020 से 06.04.2020 तक कोविड–19 महामारी की अवधि के दौरान अपीलार्थी की ड्यूटी की विस्तृत जांच की और प्रत्यर्थी संख्या 3 ने दिनांक 25.09.2020 की अपनी जांच रिपोर्ट में यह पाया कि प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा अपीलार्थी को कोविड–19 की अवधि के दौरान उसकी ड्यूटी के संबंध में आदेश दिनांक 08.04.2020 को जारी किया गया आदेश अपठनीय और अधूरा था इसलिए प्रत्यर्थी संख्या 5 को निर्देश दिया कि वह तुरंत उसी अवधि का वेतन आहरित करके अपीलार्थी की दिनांक 08.04.2020 और 09.04.2020 की अवधि की छुट्टी मंजूर करे (अनुलग्नक–1)। अपीलार्थी ने दिनांक 04.05.2021 को राजस्थान सेवा नियम के प्रावधान के अनुसार 04.04.2020 और 06.04.2020 की अवधि के लिए छुट्टी के लिए आवेदन भी किया था, लेकिन संबंधित प्राधिकारी द्वारा इसे मंजूरी नहीं दी गई और अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 5 को दिनांक 04.04.2020 और 06.04.2020 की अवधि के लिए उसी अवधि का वेतन प्राप्त करके अपनी छुट्टी मंजूर करने के लिए आवेदन किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ (अनुलग्नक–2 एवं 3)। अपीलार्थी ने आवेदन दिनांक 07.10.2022 (अनुलग्नक–5) द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 5 से एसीपी के साथ प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ देने का अनुरोध किया था, जिसे आदेश दिनांक 17.06.2022 (अनुलग्नक–4) द्वारा स्वीकृत होने के बावजूद अपीलार्थी को आज तक अनुमति नहीं दी गई। प्रत्यर्थी संख्या 3 ने पत्र दिनांक 02.11.2020 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 5, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, भरतपुर को अपने पत्र दिनांक 13.01.2022 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 3 को निर्देशित किया तथा प्रत्यर्थी संख्या 2 ने पत्र दिनांक 20.04.2022 प्रत्यर्थी संख्या 4

को निर्देश दिया कि वह अपीलार्थी की 2 दिन की अवधि अर्थात 04.04.2020 और 06.04.2020 को कोविड–19 महामारी पर ड्यूटी के दौरान उसी अवधि का वेतन आहरित करके छुट्टी स्वीकृत करे (अनुलग्नक–6)। प्रत्यर्थी संख्या–3 ने पत्र दिनांक 20.04.2022 (अनुलग्नक–7) द्वारा प्रत्यर्थी संख्या–5 को कोविड–19 की अवधि के दौरान अपीलार्थी की 2 दिनों की छुट्टी मंजूर करके उसका वेतन निकालने का निर्देश दिया था लेकिन प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, शहर भरतपुर ने भी आर.सी.एस. (सीसीए) नियम के नियम 17 के तहत दिनांक 17.04.2020 (अनुलग्नक–8) द्वारा नोटिस दिया गया, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 5 को कोविड–19 महामारी की अवधि के दौरान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुचावटी, डीग, भरतपुर के क्वारंटीन वेलनेस केयर सेंटर से अनुपस्थित रहने के लिए स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है और प्रत्यर्थी संख्या 5 का कृत्य आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधान के तहत दंडनीय है।

अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी की कोविड–19 महामारी के समय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कुचावटी, डीग, जिला भरतपुर के क्वारंटीन वेलनेस केयर सेंटर में ड्यूटी के दौरान दिनांक 04.04.2020 और 06.04.2020 की छुट्टी स्वीकृत करें, तथा जांच रिपोर्ट दिनांक 25.09.2020 के निष्कर्ष के अनुसार उसी अवधि का वेतन सभी परिणामी सेवा लाभों के साथ आहरित करें तथा बिना किसी रुकावट के पदोन्नति, वेतन वृद्धि, चयन वेतनमान और अन्य सेवा लाभों का लाभ उठाने के उद्देश्य से अपीलार्थी के सेवा रिकॉर्ड में 2 दिन यानी 04.04.2020 और 06.04.2020 की अवधि को नियमित करके दिनांक 17.06.2022 के आदेश के अनुसार एसीपी के साथ चयनित वेतनमान का लाभ दिया जावे।

प्रत्यर्थी संख्या–5 की तरफ से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलाार्थी ने जिला कलक्टर महोदय भरतपुर को प्रार्थना पत्र दिनांक 24.05.2020 (अनुलग्नक आर 5/1) प्रस्तुत किया था जिस पर जॉच नियुक्त हुई थी परन्तु अपीलार्थी ने जिला कलक्टर महोदय भरतपुर से फैसला नहीं करवाया जो कि आपदा प्रबन्धन कमेटी के अध्यक्ष थे एवं इस प्रकरण में फैसला देने के सक्षम अधिकारी थे इस तथ्य को अपीलार्थी ने अपनी इस अपील में छिपाया है। अपीलार्थी ने जनसुनवाई में प्रार्थना पत्र दिनांक 21.04.2022 (अनुलग्नक–आर

5/2) द्वारा जिला कलक्टर महोदय भरतपुर को प्रस्तुत किया था, जिस पर प्रत्यर्थी संख्या 5 ने अपना जवाब राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुचावटी के पत्र दिनांक 01.07.2022 से जिला कलक्टर भरतपुर के कार्यालय में प्रस्तुत किया था (अनुलग्नक–आर 5/3) लेकिन प्रत्यर्थी संख्या 5 की निजी जानकारी के अनुसार इस पर अभी तक कोई निर्णय जिला कलक्टर महोदय भरतपुर द्वारा नहीं दिया गया है। अपीलार्थी द्वारा सच्चाई को छुपाकर माननीय न्यायालय में आना एवं झूठा शपथ पत्र देना अपराध की श्रेणी में आता है। अपीलार्थी एक ही घटना के बारे में अलग अलग जगह से आदेश प्राप्त नहीं कर सकता है। अपीलार्थी अलग–अलग प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं कर सकता है क्योंकि इससे आदेशों में भिन्नता आ सकती है। अपीलार्थी के प्रदर्श 6 के अनुसार दोषी व्यक्ति को आपदा प्रबन्धन की डयूटी से एक दिन भी अनुपस्थित होने पर अथवा निर्देशों की पालना नहीं करने पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 (ख) एवं 56 के अन्तर्गत एक वर्ष के कारावास अथवा जुर्माना तथा दोनों की सजा का प्रावधान है जो अपीलार्थी पर भी लागू होती है। अपीलार्थी द्वारा धारा 4 (A) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है परन्तु यह मामला 2020 का है अपीलार्थी ने माननीय न्यायालय में अपील लगभग 4 वर्ष बाद की है इसलिये यह मामला तत्कालिक प्रकृति का नहीं है एंव मियाद बाहर भी है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 5 को व्यक्तिगत हैसियत से पक्षकार बनाया है जबकि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 5 को विभाग के कार्मिक की हैसियत से पक्षकार बनाया जाना चाहिये था प्रत्यर्थी संख्या 5 ने विभाग के लिये कार्य किया था यह प्रत्यर्थी संख्या 5 का व्यक्तिगत मामला नहीं है। प्रत्यर्थी संख्या 5 को कई अधिवक्तागण से सलाह लेनी पड रही है तथा आना जाना पड रहा है जिससे आर्थिक हानि हो रही है इसलिए अपीलार्थी से प्रत्यर्थी संख्या 5 हर्जा खास दो लाख रूपये प्राप्त करने की अधिकारी है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा कोविड–19 महामारी के समय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कुचावटी, डीग, जिला भरतपुर के क्वारंटीन वेलनेस केयर सेंटर में ड्यूटी के दौरान दिनांक 04.04.2020 और 06.04.2020 की छुट्टी स्वीकृत करने तथा जांच रिपोर्ट दिनांक 25.09.2020 के निष्कर्ष के अनुसार उसी

अवधि का वेतन सभी परिणामी सेवा लाभों के साथ आहरित करने का अनुतोष चाहा गया है। प्रत्यर्थी संख्या–5 की ओर से कथन है कि अपीलार्थी ने जिला जिला कलक्टर भरतपुर को प्रार्थना पत्र दिनांक 24.05.2020 प्रस्तुत किया था जिस पर जॉच नियुक्त हुई थी परन्तु अपीलार्थी ने जिला कलक्टर भरतपुर से फैसला नहीं करवाया, जो कि आपदा प्रबन्धन कमेटी के अध्यक्ष थे एवं इस प्रकरण में फैसला देने के सक्षम अधिकारी थे। अपीलार्थी ने जनसुनवाई में प्रार्थना पत्र द्वारा जिला कलक्टर भरतपुर को प्रस्तुत किया था, जिस पर प्रत्यर्थी संख्या 5 ने अपना जवाब राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुचावटी के पत्र दिनांक 01.07.2022 से जिला कलक्टर भरतपुर के कार्यालय में प्रस्तुत किया था, लेकिन प्रत्यर्थी संख्या 5 की निजी जानकारी के अनुसार इस पर अभी तक कोई निर्णय जिला कलक्टर महोदय भरतपुर द्वारा नहीं दिया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण ने जिला कलक्टर भरतपुर में वेतन भुगतान हेतु ही परिवेदना प्रस्तुत की है। प्रकरण में जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक भरतपुर के आदेश दिनांक 25.09.2020 द्वारा प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कुचावटी (भरतपुर) को अप्रैल 2020 का रोका गया वेतन नियमानुसार अवकाश स्वीकृत कर वेतन आहरण करने हेतु निर्देशित किया गया। अपीलार्थीगण द्वारा अवकाश आवेदन प्रस्तुत करना भी पाया जाता है परन्तु प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा विभागीय निर्देशों की अनुपालना में कोई कार्यवाही नहीं करना पाया जाता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में हम प्रत्यर्थी विभाग (विशेषतौर से प्रत्यर्थी संख्या 5) को यह निर्देश देते है कि दिनांक 04.04.2020 और 06.04.2020 का रोका गया वेतन नियमानुसार अवकाश स्वीकृत कर वेतन का आहरण अपीलार्थीगण को किया जावे एवं तदनुसार वेतन संबंधी सभी परिणामी सेवा लाभ भी स्वीकृत किया जावे। उक्त आदेश की पालना दो माह में सुनिश्चित की जावे।

मूल आदेश अपील संख्या 1861/2023 बनवारी लाल बनाम निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य पत्रावलियों में इस आदेश की प्रति संलग्न की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य